

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 47/2024-25

नई दिल्ली, दिनांक: 07 फरवरी, 2025

विषय: गेहूं के आटे के निर्यात हेतु ड-136 पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) की शर्तों में संशोधन के संबंध में।

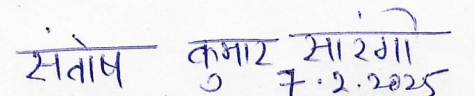
समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015-20 दिनांक 23.03.2023 में यथा संशोधित सिओन ड-136 के लिए, सार्वजनिक सूचना सं. 25-203 दिनांक 4 अगस्त, 2023 द्वारा शामिल टिप्पणी 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

टिप्पणी 3: 'मिलेट्स सहित गेहूं के आटे' (आटा) को भी नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन निर्यात की अनुमति है:

- क. निर्यात मद में न्यूनतम 60% मात्रा में गेहूं का आटा एवं अन्य सामग्रियों (यदि कोई हो) के अलावा न्यूनतम 15% मात्रा में मिलेट्स शामिल होगा।
- ख. ऐसी निर्यात मदों यानी 'मिलेट्स सहित गेहूं के आटे' (आटा) के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत गेहूं की आयात पात्रता की गणना निर्यात मद में संपूर्ण गेहूं के आटे (आटा) की प्रतिशत मात्रा के अनुपात में की जाएगी, यानी प्रति 1 किलोग्राम संपूर्ण गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात के लिए 1.07 किलोग्राम गेहूं के आयात की अनुमति होगी।
- ग. निर्यात मद में शामिल किए जा रहे मिलेट्स और अन्य सामग्रियों को घरेलू रूप से प्राप्त किया जाएगा।
- घ. शिपिंग बिल में निर्यात विवरण स्पष्ट रूप से संपूर्ण गेहूं के आटे की प्रतिशत मात्रा, मिलेट्स की प्रतिशत मात्रा और शामिल की जा रही अन्य सामग्रियों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।
- ड. सार्वजनिक सूचना संख्या 38/2015-20 दिनांक 25.11.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015-20 दिनांक 23.03.2023 में पूर्व में विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) 'ड-136 को मिलेट्स सहित गेहूं के आटे के निर्यात को अनुमति प्रदान करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।


(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in